"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20 1 03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2006—कार्तिक 5, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 856/813/2006/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेई, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-9-2006 से 29-9-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 22, 30-9-2006, 1-10-2006 एवं 2-10-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री बाजपेई का कार्य भी संपादित करेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

3. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेई को पुनः अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में श्री बाजपेई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेई अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 1-4/06/(6) 52.—छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा ग्रामोद्योग विनियम 1980 के नियम 7 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त विनियम में :—

1. नियम 7 (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय,

बोर्ड के ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भिन्न हों, अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष की होगी. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष की होगी.

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8033/06/25-2/आजाकवि.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक-11791/डी-2307/21-ब/छ. ग./2006, दिनांक 25-9-06 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर की सेवाएं इस विभाग को वक्फ अधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं.

2. राज्य शासन, एतदद्वारा, श्री सतीश कुमार सिंह को विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी, वक्फ अधिकरण, रायपुर के पद पर, अन्य आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक/4309/डी-15/74/2006-07/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2135/डी-15/74/2004-05/14-3 रायपुर दिनांक 27-5-2006 द्वारा राज्य की समस्त मण्डी क्षेत्रों में विक्रय या क्रय या लाई गयी या वेंची गयी कृषि उपज, लाख पर संपूर्ण मंडी शुल्क के भुगतान पर दिनांक 18-10-2005 से एक वर्ष की कालावधि के लिए दी गयी छूट को, पूर्व शर्तों के अध्यधीन, एतदद्वारा, दिनांक 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाया जाता है.

Raipur, the 12th October 2006

No./4309/D-15/74/2006-07/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the exemption given on payment of full market fees for the period of one year from the date 18-10-2005 on sale or purchase or bought or sold of lac, agriculture produce in all mandi areas in the state, is hereby further extended up to 31 March, 2007, as per conditions laid down earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

क्रमांक-एफ 20-95/04/11/(6).—छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 14 जुलाई, 2006 में प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-95/04/11/ (6) दिनांक में अंक व शब्दों "8. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स फोफाइल्स एवं पाईप फीटिंग" के स्थान पर अंक व शब्दों "8. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फीटिंग" प्रतिस्थापित किए जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 8-8/2006/11/6.— इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा के बायलर क्रमांक-सी. जी./100 को दिनांक 06-08-2006 से 04-11-2006 तक तथा बॉयलर क्रमांक-सी. जी./101 को दिनांक 13-09-2006 से 14-12-2006 तक निर्म्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षांनुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहंम्णे, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10-46/2003/वा.कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22-08-2005 में की गई अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नांकित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में की गई तदर्थ पदोन्नति को, तदर्थ पदोन्नति के उपरांत पद का वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित करता है :—

स. क्र.	तदर्थ पदोन्नत वाणिज्यिक कर अधिकारियों के नाम	तदर्थ पदोन्नति के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अशोक कुमार तिवारी	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002

(1)	(2)	(3)
2.	श्री एम. एच. मिश्रा	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
3.	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
4.	श्री टी. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त दि. 30-11-03)	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
5.	श्री सी. पी. देवांगन	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
6.	श्री कांति कुमार श्रीवास्तव	एफ 6-146/2003/वाक./पांच, दिनांक 25-07-2003
7.	श्री पी. सी. केरकेट्टा (सेवानिवृत्त 30-09-2003)	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
8.	श्री एनाबल टोप्पो	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
9.	श्री अर्जुन राम कावड़े	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
10.	श्री फियूडियस टोप्पो (सेवानिवृत्त 28-02-2004)	एफ 6-146/2003/वाक./पांच, दिनांक 25-07-2003
11.	श्री ए. आर. कोयल	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002

2. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नतियों का नियमितीकरण वर्ष 2002 में पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के आधार पर किया गया है. वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की दिनांक 01-04-2001 की वरिष्ठता सूची में निर्धारित क्रम के अनुसार रहेगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी तत्समय लागू नियम/निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006　　रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

पं सुन्दरलाल शर्मा सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को ''पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान'' देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2006'' है.

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) ''व्यक्ति'' से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) ''निर्णायक मंडल'' से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. सम्मान का स्वरूप—

साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष ''पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान'' राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. निर्णायक मंडल का गठन—

राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियां—

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. चयन की प्रक्रिया—

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा:—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संपेक्षिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) साहित्यकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड—**

सम्मान के लिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने साहित्य/आंचलिक सहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि साहित्य/आंचलिक साहित्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी. जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **सम्मान की घोषणा—**

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह—**

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति—**

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**

चयनित व्यक्ति के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

चक्रधर सम्मान

प्रस्तावना :—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/ संस्थाओं को "चक्रधर सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "चक्रधर सम्मान नियम-2006" है.

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. सम्मान का स्वरूप—

संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "चक्रधर सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. निर्णायक मंडल का गठन—

राज्य शासन, संगीत एवं कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पाँच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

(1) कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय - सदस्य
(2) अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ - सदस्य

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियां—

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जायेगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. चयन की प्रक्रिया—

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं की जावेंगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यकता होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) संगीत एवं कला के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों का पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संपेक्षिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड—**

सम्मान के लिए संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के संगीत एवं कला कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि संगीत एवं कला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए संगीत एवं कला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि संगीत एवं कला के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे. जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **सम्मान की घोषणा—**

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह—**

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति—**

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**

चयनित व्यक्ति के संगीत एवं कला कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

दाऊ मंदराजी सम्मान

प्रस्तावना :—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/ संस्थाओं को "दाऊ मंदराजी सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "दाऊ मंदराजी सम्मान नियम-2006" है.

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप—**

लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "दाऊ मंदराजी सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. निर्णायक मंडल का गठन—

राज्य शासन, लोक कला/शिल्प क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

(1) कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय - सदस्य

(2) अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ - सदस्य

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियां—

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. चयन की प्रक्रिया—

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात्‌ संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बावत सहमति है/नहीं है.

7. चयन का मानदंड—

सम्मान के लिए लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति/संस्था का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला/शिल्प कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि लोक कला/शिल्प के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला/शिल्प के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य हैं.

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसकों उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. व्यय की संपूर्ति—

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**

चयनित व्यक्ति के लोक कला/शिल्प कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7598.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	नादिया प.ह.नं. 10	7.90	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7599.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	इरिमकसा प.ह.नं. 10	2.34	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7600.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बसावर प.ह.नं. 10	14.09	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/95-96/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.88	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना अंतर्गत कुम्हली मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/अथवा संबंधित कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/04-05/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.990	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना अंतर्गत कुम्हली माइनर नं. 1 चपका डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अथवा संबंधित कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/04-05/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	2.158	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना अंतर्गत कुम्हली माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अथवा संबंधित कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 39/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	छिंदभोग	6.435	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 40/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	इसराकापा	1.856	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 1 अ 82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भरेवा (पूरन), प. ह. नं.-24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.727 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
203, 204	0.020
258/14	0.275
258/16	0.081
205	0.130
211/1	0.109
211/2	0.126
218	0.210
219/1	0.056
220/1	0.101
220/2	0.020
242/1	0.020
221	0.097
240	0.150
241	0.097
243/1	0.061

(1)	(2)
258/15	0.174
योग 16	1.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हाफ शाखा नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2 अ 82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-कंवलपुर, प. ह. नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284/1, 285/1	0.089
286/1	0.093
286/2	0.093
289/1	0.085
289/2, 292	0.012
291	0.121
293/2	0.081
294/1	0.429
292/3	0.028
योग 9	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हाफ शाखा नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ 82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-खैरातुलसी, प. ह. नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.095 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265	0.045
308	0.064
263	0.008
264	0.077
266/1	0.052
267	0.154
276/1	0.012
282/2	0.154
268	0.032
275	0.178

(1)	(2)
313	0.154
314	0.154
269	0.223
273	0.093
283	0.008
285	0.182
284	0.121
309	0.073
311/1	0.109
312/1	0.130
312/2	0.056
281	0.019
योग 22	2.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हाफ शाखा नहर के खैरा माइनर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 8 अ 82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
   (ख) तहसील-पंडरिया
   (ग) नगर/ग्राम-बिझौरी, प. ह. नं.-06
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.745 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159, 160	0.745
योग 1	0.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर व्यपवर्तन से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 12/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
   (ग) नगर/ग्राम-गौरेला
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
104	0.34

(1)	(2)
122	0.60
276/1	0.25
268	0.23
251, 252	0.11
279	0.23
115	0.50
19	0.07
20	0.08
25/1 क	0.18
270/3	0.11
111	0.17
113	0.07
109/13	0.13
277	0.03
16/3, 21/1	0.17
13/1	0.32
38	0.31
109/7	0.07
269/1	0.17
271/1 घ	0.07
103	0.10
141/1	0.03
51	1.00
139/1	0.29
142/1	0.11
248	0.23
271/1 क, 271/1 ग	0.17
124	0.20
127	0.17
109/10	0.14
130	0.41
129	0.11
128/1	0.52
128/2	0.57
109/15	0.15
112	0.18
109/14	0.13
22/1	0.07
144	0.45
143	0.06
49/1	0.45
42/1, 43/1	0.45
121	0.03
49/2	0.88
50/2	0.20
योग 44	11.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
263	1.20
264	0.09
275, 276/1	0.16
276/2	0.12
279	0.17
280	0.10
277	0.05

(1)	(2)
262/3	0.01
योग 8	1.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 1/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चातरखार, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.41 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
58/3, 59/3	0.19
80/4	0.91
91	0.13
92, 93	0.15
90/2	0.11
88	0.29
94/2	0.25
101	0.15
103	0.10
416/1	0.22
102/2	0.10
102/3, 390	0.12
394, 395	0.15
396	0.08
414/1	0.23
86, 103/1	0.02
367	0.21
योग 17	3.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8093/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणगढ़, प. ह. नं.-21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.854 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
661	0.105
660	0.097
662	0.057
663	0.053
659	0.225
667/1	0.273
667/7	0.210
666/3	0.004
666/2	0.004
665/6	0.041
668	0.145
670	0.136
671/1	0.110
672/2	0.334
673/1	0.177
674/2, 3	0.081
678	0.193
696	0.634
689	0.177
679	0.004
690/3	0.081
512/1	0.358
512/2	0.033
513/1	0.049
504/2	0.049
511/1	0.097
511/2	0.033
510/2	0.081
509	0.017
508/3	0.182
508/6	0.085
508/10	0.008
508/5	0.077
508/8	0.073
508/9	0.121
508/1	0.089
508/4	0.061
507	0.142
503/2	0.004
503/1	0.101
504/1	0.049
504/3	0.045
505	0.[illegible]46
506/2	0.073
571/1	0.085
570	0.065
569	0.008
571/2	0.133
568/2	0.065
568/1	0.073
572	0.227
574/1	0.141
583	0.234
573/1	0.047
573/2	0.065
573/3	0.040
573/4	0.039
562/2	0.057
573/5	0.137
573/6	0.324
योग 60	6.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–खात टोला बेगज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

क्रमांक 10965/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पाड़ीमार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.029 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22	5.029
योग		5.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गरबड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

क्रमांक क/सहा. ख. लि. 2/3-1/खुघो/2006.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	ख. नं.	रकबा	अन्य विवरण
पिरदा	111	रायपुर	640	1.56 एकड़ (निजी भूमि)	श्री लीलाराम अठवानी को स्वीकृत उत्खनिपट्टा अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र खुला घोषित किया जा रहा है.
धनसूली	79	आरंग	776, 777, 778	2.22 एकड़ (निजी भूमि)	स्व. किशन चंद को स्वीकृत उत्खनिपट्टा अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र खुला घोषित किया जा रहा है.
बरपाली	154/17	कसडोल	77, 78	0.630 हे. (निजी भूमि)	दिनांक 1-4-86 से 31-3-91 तक स्वीकृत खदान की अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र खुला घोषित किया जा रहा है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.